



207

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

1. सुमेर तनय पंचू आदिवासी
निवासी ग्राम हरदुआ तह. खुरई जिला सागर
2. धर्मेन्द्र जैन तनय बाबूलाल जैन
निवासी बिहारी वार्ड, खुरई तह. खुरई जिला सागर

सिम 3229-216

.....निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एवं धारा 165 म.प्र.शु
राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्र 51/अ-21/07-08 में पारित आदेश दिनांक 26/6/09 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हरदुवा स्थित भूमि खसरा क्र 32 रकवा क्रमशः 0.45 हे. आवेदक क्र 1 को पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसको आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु आवेदक क्र 1 द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता क्र 1 जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है

L. Jain

(निवेन्द्र सिंह)
030

9425171223)

R. J.

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3229 I जिला सागर.....
16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.9.16	<p>1- आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित। उनके तर्क श्रवण किए गए तथा मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र.क्र.51/अ-21/वर्ष 07-08 में पारित आदेश दिनांक 26/6/09 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है।</p> <p>2- आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरुद्ध जी आरुमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है।</p> <p>3- आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र 1 की भूमि ग्राम मौजा हरदुआ तह. खुरई जिला सागर स्थित खसरा क्र 32 रकवा क्रमशः 0.45 हे भूमि आवेदक क्र 1 को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक क्र 1 के नाम पर दर्ज भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर अपर कलेक्टर सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से तहसीलदार खुरई को प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार खुरई द्वारा अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से अपर कलेक्टर सागर को प्रेषित किए जाने के उपरांत भी अपर कलेक्टर सागर द्वारा आवेदक क्र 1 को प्रश्नाधीन भूमि आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की गयी है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक क्र 1 द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक क्र 1 भूमि को विक्रय कर व्यापार करना चाहता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि</p>	

Bjx

COM